जनता कपडे की उपलब्धता

1568. **श्री अजीत जोगी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि समाज के कमजोर वर्गो, को उनके लिए मुख्य रूप से उत्पादित जनता कपड़ा, उपलब्ध नहीं हो रहा हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबों के लिए उत्पादित जनता कपड़ा उन्हे वास्तव में उपलब्ध हो, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) लक्षित समुह तक जनता कपड़े के वितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया हैं और उन्हे भारत सरकार द्वारा निर्देश दिये गए है कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को जनता कपड़े का वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये। ऐसे अभिकरणों का भी पता लगाया जाता हैं कि जिनके ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने विक्रय केन्द्र हैं इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यान्वयन राज्य में हथकरघा प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तर कार्यान्वयन समिति भी जनता कपड़े के उत्पादन और लक्षित समूह तक इसके वितरण की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं। वर्तमान मार्गदर्शिका के अन्तर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों को जनता कपड़े की थोक बिक्री करने का अनुमान नहीं हैं। अत: जनता कपड़े की बिक्री प्रति व्यक्ति 50 वर्ग मी. तक ही सीमित हैं। यह भी सीमा लगाई गई हैं कि कार्यान्वयन अभिकरण उपभोक्ताओं और राज्य सरकारों/केन्द्रीय अभिकरणों को जनता कपड़े की आपूर्ति खुदरा बिक्री से ही करें।

Violation of Norms by Reliance Industries

1569. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Reliance Industries Limited invested crores of rupees in City Bank and other foreign financial institutions violating the norms of the Reserve Bank of India;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether investigation has been initiated in this regard;

(d) if so, the outcome thereof; and

(e) the stern action taken against these found guilty/responsible for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) to (e) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Enquiry into the Bagiya Restaurant Episode

1570. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to refer to the answer to Starred Question 35 given in the Rajya Sabha on 1st August, 1995 and state;

(a) whether the enquiry in Bagiya episode (Ashok Yatri Niwas) has since been completed, if so, what are the findings of the enquiry recommendation of the Vigilance Division; and

(b) what action has been taken against the guilty officials as on date; if no action has been taken, the reasons for delay?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) and (b) The Director General of Tourism was asked to conduct an enquiry into the alleged irregularities in the award of licence of Bagiya Restaurant in Ashok Yatri Niwas of ITDC. His report was received by the Government on 31.7.95 and on the basis of findings contained therein, the matter has been referred to CBI for a detailed enquiry. CBI has already registered the case on 4.9.95 against the followings:—

1. Shri. M.N. Gupta, Vice President, ITDC

2. Shri. K.K. Tuli, Genl. Manager, Ashok Yatri Niwas, ITDC, New Delhi.

3. Shri. C.S. Jain, G.M. ITDC

4. Shri L.M. Batra, Resident Manager, ITDC

5. Capt. R.R. Arora, Manager, ITDC

6. Shri Vijay Kumar, Chief Acct. Officer ITDC

7. M/s Excel Hotels, & Restaurants ICN. 159, Kamla Market, N. Delhi.

The report of the CBI in the matter is awaited.

In addition an internal inquiry was ordered by ITDC. The report of that inquiry has been received and is under examination.

मध्य प्रदेश में विद्युत की मांग और आपूर्ति

1571. **श्री राघवजी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) 31 अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता और कितना विद्युत उत्पादन हो रहा था और वास्तविक मांग कितनी थी;

(ख) क्या यह सही हैं कि विद्युत की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर हैं, यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) सरकार ने कौन-कौन सी नई विद्युत परियोजनाएं तैयार की हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल अधिष्ठापित क्षमता 3863.36 मेगावाट थी और अप्रैल – अक्तूबर, 1995 के दौरान राज्य क्षेत्र का वस्तुत: विद्युत उत्पादन 9542 मेगावाट था। अप्रैल – अक्तूबर,95 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में 16085 मिलियन यूनिट ऊर्जा की आवश्यकता थी, इसकी अपेक्षा 15102 मिलियन यूनिट ऊर्जा उपलब्ध थी जोकि 6.1% की कमी का द्योतक हैं।

(ख) मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं; नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करन, अल्प अवधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, आर एण्ड एम कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, बेहतर मांग प्रबन्ध और ऊर्जा संवर्धन उपायों को क्रियान्वित करना और पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से विद्युत के अन्तरण की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से भी राज्य को अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त होती हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति की गई नई परियोजनाओं एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की जांच की जा रही परियोजनाओं की सूची नीचे विवरण में दी गई हैं।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई नई परियोजनाएं तथा जांच की जा रही परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	आईडीसी को छोड़कर अनुमोदित लागत (आईडीसी समेत) (करोड़ रू.)	केविप्रा में प्राप्त होने की तारीख	विद्युत (प्रदाय) अधिनियम की धारा 29 की अनुपालन
1	2	3	4	5	6
क.	**केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/मूल्यांकित**				
1.	मरीखेड़ा ज.वि. (मोहिनी सागर)	2x20=40	87.92 (106.9)	9/92	जी, हां
			कुछेक शर्तो के अधीन 23.4.93 को स्वीकृति प्रदान की गई थी।		
2.	महेश्वर ज.वि. (मै.एस.कुमार्स लि.)	10x40=400	824(1073)	6/93	जी, नहीं
			तकनीकी और लागत की दृष्टि से स्वीकृति के लिए 12.11.93 को विचारानुसार स्वीकार्य पाई गई। धारा 29 की अनुपालना के पश्चात् औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के लोग स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों का संतोषजनक समाधान) और अन्य शर्तो के अधीन।		
3.	ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय ज.वि.	8x65=520	958.82(1216.95)	12/92	जी, हां